[Shri Surendra Dwivedi]

Railway Minister *suo motu* comes out with a statement. I would like you to give a directive to the Ministry that whenever troops are being called for in aid of civil authorities at any place, the Home Minister or the Defence Minister of his own should make a statement why the troops are called.

Shri S. M. Banerjee: My submission on this call attention notice is that you have the right to reject them whether they relate to incidents in Dibrugarh or the application of the various rules or calling of the Army or it is the subject which Mr. Gopalan pointed out today. You say we should write to you. We may press particular call attention notices, for instance, the pay commission for the Central Government employees or gold control. Yesterday, in the other House the Chairman, rightly or wrongly, allowed that and said that he should make a statement.

Mr. Speaker: This is not fair to take advantage of this opportunity to bring in his own call attention notice on gold control and other notices which I had disallowed.

Shri S. M. Banerjee: Kindly hear me; you do not allow us to make our submissions.

Mr. Speaker: I allowed him to speak only on the relevant points.

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : जब आप ने एक मर्तबा यह डिसीशन दे दिया कि अगर आप डिसएलाऊ करेंगे तो कोई रीजन नहीं देंगे फिर इसके बाद क्या यह मुनासिब है कि इस तरह से इन्हें वक्त दिया जाय कि वह गोल्ड कंट्रोल आर्डर और दीगर मामले इस तौर पर उठायें ?

अध्यक्ष महोदय : आप अगर इस पर कहना चाहते हैं तो मैंने जो श्री हेम बरुआ को कहा और श्री गोपालन को कहा वही उन्हें भी कहूंगा कि वह खत्म हुआ ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने आप से इजाज़त मांगी थी कि यह जो आर्डर पेपर है उस के बारे में मुझे कुछ कहना है । आज का जो आर्डर पेपर है उस के बारे में कहना है ।

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : प्वाएंट ऑफ़ आर्डर का क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे बहुत अफसोस है कि अगर इस तरीके से हमें अपनी बात को कहने से रोका जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप कहें ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप स्पीकर हैं आप टोकें या रोकें तो वह तो मैं समझ सकता हूं क्योंकि आप स्पीकर हैं लेकिन वहां पर जो लाउडस्पीकर लगे हैं और एक साथ बोल उठते हैं उनका बोलना इस तरह से मेरी समझ में नहीं आता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसे बंद कर सकता हूं ? माननीय सदस्य को अभी कुछ कहना है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा निवेदन यह है कि आज का जो आर्डर पेपर है उसके बारे में मैं आप की सेवा में कुछ कहना चाहता हूं । आगे आर्डर पेपर में जो अभी आने वाला है उस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कहिए ।

12.25 hrs.

Re. BUSINESS OF THE HOUSE

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): In the Order Paper of yesterday, I saw the other item after this discussion on the motion moved by Shri Sachindra Chaudhuri, and that was the Bill known as the Unlawful Activities (Prevention) Bill. That is missing today.

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): Rightly missing.

Shri S. M. Banerjee: In this connection, I would invite your kind attention to the press news yesterday under the caption "Unlawful Activities Bill is likely to be revised." It said:

"There were definite indications today that the Government might itself undertake a fairly radical revision of the Unlawful Activities (Prevention) Bill introduced in the Lok Sabha a week ago in the teeth of bitter and unified resistance by all the Opposition groups."

Lastly—and this is most important—

"Last evening, the Attorney-General, Mr. C. K. Daphtary, met the Prime Minister and reportedly pointed out to her the various legal defects and lacunae in the Bill, as at present formulated."

I would like to know if the Prime Minister had any discussion with the Attorney-Gneral and if the question was referred to the Attorney-General. (*Interruption*).

An hon. Member: How does it arise?

Shri S. M. Banerjee: This question does arise. I want to know whether it is a fact or not.

Mr. Speaker: I am not going to ask if the Prime Minister had consultations with her own officers. I cannot ask her what consultation she has been having. (*Interruption*).

Shri Nambiar: To the extent that it is going to be revised, it is welcome.

Mr. Speaker: Order, order. We will proceed to the next business.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : इसके बारे में मेरा प्वाइंट ग्रौफ ग्रार्डर है। मैं पिछले 10—15 मिनट से खड़ा हो रहा हूं लेकिन

1244(Ai)LSD—7.

मैं बिलकुल बोल नहीं रहा हूं क्योंकि ग्रभी तक ग्रापने मुझे बुलाया नहीं है।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप तो बोल रहे हैं।

श्री मधु लिमये : मैंने कुछ भी नहीं कहा। ग्राप बुलायेंगे तभी बोलूंगा।

ग्रध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खुशी होती है जब मधु लिमये कहते हैं कि वह तभी बोलेंगे जब मैं उन्हें बुलाऊंगा।

सवाल सिर्फ इतना है कि ग्रब एक काम खत्म हुग्रा दूसरा ग्रभी शुरू नहीं हुग्रा, ग्राप कहते हैं उस के दरमियान में प्वाएंट ग्रौफ ग्रार्डर है तो दरमियान में प्वायंट ग्रौफ़ ग्रार्डर कैसे ग्रा सकता है ?

श्री मधु लिमये : ग्राप ने श्री सुब्रह्मण्यम को बलाया . . . .

ग्रध्यक्ष महोदय : वह तो ग्रार्डर पेपर पर है उनके बुलाने पर ग्राप करते हैं ? ग्राप का प्वायंट ग्रौफ ग्रार्डर उन के बुलाने पर है तो ग्राप कीजिये।

श्री मधु लिमये : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाएंट ग्रौफ ग्रार्डर. . . . .

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : मेरा . . . .

श्री मधु लिमये : प्वाएंट ग्रौफ़ ग्रार्डर को पहले सुना जायगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरा भी प्वाएंट ग्रौफ़ ग्रार्डर है।

ग्रध्यक्ष महोदय : पहले उन को बुलाया हुग्रा है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : पहले मैं खड़ा हुग्रा था।

अध्यक्ष महोदय : पहले वह खड़े हुए थे।

12.27 hrs.

Re: EXTERNMENT ORDER BY BIHAR GOVERNMENT

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, आप के निर्देश के अनुसार प्रश्नोत्तर के बाद अल्पसूचना प्रश्न, ध्यानाकर्षण और काम रोको आदि आते हैं और फिर विशेषाधिकार आता है। अभी श्री सुब्रह्मण्यम जो कहने वाले हैं उस के सम्बन्ध में मैं नहीं कह रहा हूं। कल इंडियन ऐयरल इंस कारपोरेशन के हवाई जहाज से श्रीपाद अमत डांगे, पी० राममूर्ति और इस सदन के सदस्य श्री त्रिदिब कुमार चौधरी और मैं पटना हवाई अड्डे पर पहुंचे। वहां उतरते ही हम को पुलिस वालों ने कहा कि वी० आई० पी० कमरे में आप चलिए, आप के ऊपर हम कोई हुक्म जारी करना चाहते हैं। तो हम को वहां पर ले गये और हम लोगों के ऊपर इस किस्म का हुक्म जारी किया। यह हुक्म है बिहार मेटेनेंस आफ़ पबलिक आर्डर ऐक्ट 1949 (**व्यवधान**)।

मैं सुब्रह्मण्यम साहब के बारे में नहीं कह रहा हूं फिर आप लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय, इस कानून के मातहत हमारे ऊपर यह हुक्म जारी किया कि डेढ़ घंटे के अन्दर आप बिहार छोड़ कर चले जाइये। पहले छः लिखा था बाद में उनको अकल सूझी होगी तो छः का डेढ़ घंटा किया। खैर कोई बात नहीं। डेढ़ घंटे में चले जाने का यह हुक्म जिस वक्त जारी हुआ उस वक्त से हम को वी० आई० पी० कमरे में कैदी की तरह से करीब करीब बन्द कर दिया गया। जो पुलिस अफसर थे और जो, अपना नाम वी० पी० एन० कुमार, डिप्टी सुपरिंटडट पुलिस बताते थे, उनके अलावा अन्दर और कोई नहीं था। हम चार लोग थे। बाहर पत्रकार आए हुए थे। हमारे कुछ मित्र भी आए हुए थे। इन में से एक श्री भोला प्रसाद सिंह, एम० एल० सी० थे। उनको हमारे सामने ही गिरफ्तार कर के पुलिस ले गई। हमको उनसे बोलने भी नहीं दिया गया उस कमरे से मैं बाहर जाना चाहता था पत्रकारों से मिलने के लिए। कुमार साहब बीच में आए और बोले कि आप नहीं जा सकते हैं। हमने कहा कि किस कानून के अन्दर आप मुझ को रोक रहे हैं? क्या मैं कैदी हूं। डेढ़ घंटे का समय इनके हुक्म के अनुसार था। बहुत तू-तू, मैं-मैं हुई। मैंने कहा अगर आप मुझ को बाहर नहीं जाने देंगे तो अभी मैं यह तार अध्यक्ष महोदय को दे रहा हूं कि आप मेरे ऊपर आक्रमण करके, बल प्रयोग करके मेरे विशेष अधिकारों का भी भंग कर रहे हैं और यह तार आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद फिर उनको ज़रा कुछ अकल सूझी और करीब करीब वह रोने लगे। फिर मैंने कहा, ठीक है, अगर आप ठीक तरह व्यवहार करेंगे तो हम यह तार नहीं भेजेंगे। इसके बाद....

श्री त्यागी (देहरादून) : यह स्टोरी बयान कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप...

श्री मधु लिमये : मैं खत्म कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने तो कहा था कि आपका प्वाइंट आफ आर्डर है।

प्वाइंट आफ आर्डर तो आपने अभी तक कुछ बयान नहीं किया है। आप तो सारे जो फैक्टस हैं उनको बयान करते जा रहे हैं।

श्री मधु लिमये : मैं खतम कर रहा हूं।